न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 24.08.2020

अपील संख्या 2020/00068

उनवान

जगदीश आयु 53 वर्ष आत्मज धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी हालीहेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार आयु वर्ष आत्मज रामनारायण, जाति मीणा, निवासी जरगा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2– राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट
3– शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खानपुर

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राम माहेश्वरी व तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.010.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 815/दावा/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम हालीहेड़ा, तहसील खानपुर के खाता संख्या नया 77 खाता पुराना 76 की खसरा नम्बर 48 की 2.2581 हेक्टर भूमि स्थित है जिसके खातेदार नरवदा बाई पत्नी स्व0 कन्हैया लाल हिस्सा 1/4 जाति मीणा, तथा राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण हिस्सा 3/4 जाति मीणा निवासी जरगा खातेदार दर्ज है। राजेन्द्र कुमार का 3/4 हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर के रहन दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2020 में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया तथा ग्राम हालीहेडा तहसील खानपुर की जमाबंदी 2075–78 की खतौनी संख्या 77 पुरानी 76 खसरा नम्बर 48 की 2.2581 हेक्टर आराजी में से सहखातेदार मृतक नरवदा बाई का खाते से नाम खारिज किया गया तथा वादी राजेन्द्र कुमार को सम्पूर्ण भाग का तन्हा खातेदार घोषित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार नरवदा बाई की मृत्यु 23.04.92 को हुई जिसके दो पुत्र धन्ना लाल व मांगीलाल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। धन्ना लाल ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी जगदीश को दत्तक लिया था जिसके प्रमाण स्वरूप ग्राम हालीहेडा का नामान्तरकरण संख्या 186 अस्तित्व में है। जिसमें ग्राम पंचायत मरायता ने अपने निर्णय में हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा अपनी पंचायत में की जानकारी अनुसार सजरा बनाकर तथा कोरम के द्वारा जानकारी प्राप्त कर जगदीश भीणा को धन्ना लाल का दत्तक माना है। तद्नुसार नामान्तरकरण में जगदीश दत्तक पुत्र धन्नालाल सा0 देह हिस्सा 1/2 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी वाद में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाये जाने पर उसके विधिक अधिकारों को क्षति पहुंची है। अतः अपीलार्थी के अधिकारों की रक्षार्थ हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी 1908 अलग से प्रस्तुत किया है।

4 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत खातेदार द्वारा नहीं की है और ना ही इस आराजी के बारे में किसी भी प्रकार की वसीयत होने का प्रमाण है। इस प्रकार बिना विधिक सबूत के वादी को खातेदार घोषित किया है जिसकी अनुमति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91 के तहत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत के संबंध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजस्थान राज्य की ओर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को जवाब माना है जबकि उक्त जवाबदावे में हल्का पटवारी पक्षकार नहीं होने से जवाबदावा प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकारिकता नहीं रखता है। उसके

द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया वह भी उसके अभिलेख पर आधारित नहीं था। इसके अतिरिक्त जवाबदावे में इसके कार्यकाल की समयावधि में खातेदार नरबदा बाई की मृत्यु नहीं होने पर बिना किसी अभिलेख के आधार पर खातेदार के वारिसों तथा आराजी पर कब्जे का वर्णन करता है। इस जवाब में वह ग्राम वासियान की जानकारी के आधार पर बताता है किन्तु किसी भी ग्रामवासी का नाम ही इसमें वर्णित करता है और ना ही हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगवाया है। जवाबदावा बिना सत्यापन के है जिसमें सी पी सी 1908 के आदेशार्थ के तहत ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जवाबदावा भी तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत होना चाहिए था ना कि हल्का पटवारी की ओर से। नायब तहसीलदार द्वारा इस जवाबदावे पर जो हस्ताक्षर किये हैं उसमें उनको रिपोर्ट पटवारी माना है।

5 वादी मीणा जाति से सम्बन्धित जो कि जनजाति है जिसके संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है। जिसमें नारी को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था तदर्थ नारी को किसी भी सम्पदा को उत्तराधिकार नहीं मिलता है जिसके तहत न तो पुष्पाबाई को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं और ना ही वादी को कोई अधिकार ही मिल सकते हैं । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2020 अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को पक्षकार बनाते हुए वाद में जवाबदेही व सुनवायी का अवसर दिया जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

6 अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 27.01.2023 को उभयपक्षीय बहस सुनकर न्यायहित में स्वीकार किया गया।

7 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

8 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2016 (2) आर आर टी पेज 1437 न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

9 हमने बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी तथा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता 2008 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 27.01.2023 द्वारा उभयपक्षीय बहस सुनकर न्यायहित में पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकार्ड नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम हालीहेड़ा पटवार हल्का मरायता भू. अ. निरीक्षक हल्का हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ नामान्तरकरण संख्या 186 की प्रति पेश की है। जिसमें ग्राम पंचायत मरायता व पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट में मृतका पुष्पाबाई व उसके पति धन्नालाल द्वारा जगदीश पुत्र मदनमोहन को सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार गोद लेना बताया है। ग्राम पंचायत मरायता व पटवारी हल्का हालीहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 186 तस्दीक होकर मृतका पुष्पाबाई बेवा धन्नालाल, जाति मीणा सा. देह हिस्सा 1/2 के स्थान पर जगदीश दत्तक पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, सा. देह हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है। इस नामान्तरकरण के आधार पर अपीलांट का कथन है कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलांट के विधिक अधिकारों को क्षति पहुँची है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2020 अपास्त किया जाकर अपीलांट को पक्षकार बनाते हुए वाद मे जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

10 प्रस्तुत अपील में विधि का सारभूत प्रश्न निहित होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2020 अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि संदर्भित वाद में न्यायहित में अपीलांट को पक्षकार बनाते हुए साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.12.2023 को उपस्थित होवें।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा